(वाद सं0–1018/2017)

20.04.2022

परिवादी, सुनील यादव, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुनील यादव, पूर्व (नक्सली) के आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सरकारी लाभांश जैसे–सरकारी नौकरी, आवास, जान माल की सुरक्षा आदि अब तक उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अलौली के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को 'वास' हेतु जमीन उपलब्ध है एवं SECC सूचि में नाम नहीं रहने के कारण इनको आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है। परिवादी का नाम आवास प्लस के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिसमें उसका क्रमांक 1328 पर अंकित है। प्रतिवेदनानुसार विभागीय निदेशानुसार इस सूचि में कार्य प्रारंभ होने के उपरांत परिवादी को आवास योजना का लाभ नियमानुसार करा दिया जायेगा। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण तथा पुनर्वासन संबंधी संकल्प में वामपंथी के समर्पण तथा पुनर्वासन में सरकारी नौकरी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि दिनांक–29.12.2013 को आत्मसमर्पण करते समय उसे चेक के माध्यम से 2,54,000/–रुपये प्राप्त हुआ लेकिन आज तक आवास योजना, शौचालय योजना एवं रोजगार हेतु किसी प्रकार का अनुदान व प्रोत्साहन राशि तथा सुलभ ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी का यह भी कथन है कि वर्ष 2013 में पेशेवर हत्यारों ने उसके पिता की हत्या कर दी थी तथा अभी भी उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों की जान माल

का खतरा बना हुआ है। परिवादी का कथन है कि उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को प्रशासनिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि सरकारी नियमानुसार परिवादी को अनुमान्य लाभ दिया जा चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति को सरकारी नियम के विपरीत सरकारी नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा नहीं करती है। लेकिन परिवादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के संबंध में भय व्यक्त किया जा रहा है। **पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अनुरोध है कि वह परिवादी व उसके परिवार के समुचित सुरक्षा हेतु नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।**

उपरोक्त के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन (पृ0–56–33/प0) तथा परिवादी के प्रत्युत्तर (पृ0–58–59/प0) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपरोक्त अनुलग्नकों के साथ परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक